प्रेषक

महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

सेवा में

सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,
हरियाणा, राज्य।

यादी कमांक 14/9–2025 ले0शा0(1)
दिनांक, पंचकूला। 26.08.2025

विषयः– **ग्रुप ग या घ मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी द्वारा लिए गए ऋणो ं और अग्रिमों की वसूली अधित्यक्त (Waive off) के बारे में दिशा निर्देश जारी करने बारे।**

*****

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

इस संबंध में सूचित किया जाता है कि हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019 के नियम 17 में ग्रुप ग या घ कर्मचारी के ऋणो ं और अग्रिमों की वसूली अधित्यक्त करने बारे निम्नलिखित प्रावधान किया गया हैः–

"(क) केवल ग्रुप ग या घ मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी द्वारा लिया गया ब्याज सहित ऋण और अग्रिमों की बकाया राशि, यदि कोई हो, अर्थात् विवाह अग्रिम, मोटर साईकिल अग्रिम, गेहूं अग्रिम, त्योहार अग्रिम का अधित्यक्त किया जाएगा, जिसके लिए संबंधित विभागाध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होगा;

(ख) यदि किसी मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी ग्रुप ग या घ द्वारा लिया गया मकान निर्माण अग्रिम और कंप्यूटर अग्रिम ब्याज सहित अधित्यक्त किया जाएगा, बशर्ते मृत या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के परिवार के एक से अधिक जीवित सदस्य को नियोजित नहीं किया जाता है/गया था। लिया गया मकान द्वितीय अग्रिम या उस पर ब्याज, यदि कोई हो, को अधित्यक्त नहीं किया जाएगा;

(ग) केवल ग्रुप ग या घ मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी द्वारा लिया गया ब्याज सहित स्कूटर या मोटर साइ 'किल की बकाया राशि ब्याज सहित, यदि कोई है, अधित्यक्त किया जाएगा, जहां केवल दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है और अन्य मामलों में नहीं;

(घ) सम्बन्धित विभाग के व ृतिमूलक मुख्य शीर्ष–800–अन्य व्यय–ए–अपरिवर्तनीय ऋण बटटे खाता के अधीन वस्तु संहिता–"31. बटटे खाता ऋण/हानियां" से व्यय प्रभारित किया जाएगा।"

इसके पश्चात्, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित विभाग द्वारा हिदायते कमांक 3/11/2017–WM(3)FD/936 दिनांक 13.12.2021 को भी उपरोक्त नियमों की निरन्तरता में जारी की गई है जोकि वित विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है, का अवलोकन किया जा सकता है।

अतः इस संबंध में उन्हे निम्नलिखित दिशा निर्देश तुरन्त पालन हेतु जारी किये जाते हैः–

1. कर्मचारियों के ऋणो ं और अग्रिमों की वसूली अधित्यक्त (Waive off) के मामलो में निजी रूची लेकर तत्परता के आधार पर वित विभाग द्वारा जारी उनके पत्र कमांक **2/2/2004**& WM(3)/237-238 Dated 31.03.2025 के अनुसार ऐसे मामले सम्बन्धित विद्यालयो/कार्यालयो के डी0डी0ओ0 द्वारा उनके विद्यालय/कार्यालय में कार्यरत ग्रुप ग एवं घ के मृत्यु उपरान्त दस दिन के अन्दर–2 मामले तैयार करके गणना सीट उनके जिले के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में कार्यरत अनुभाग अधिकारी से ऋणो ं और अग्रिमों की वसूली अधित्यक्त (Waive off) की upto date ब्याज की गणना शीट तैयार करके उसे अनुभाग अधिकारी से सत्यापित करवाने उपरान्त, जिन मृतक कर्मचारियों के मामले Loan Waive Off के उपरोक्त वर्णित नियमो/हिदायतों में कवर होते है, को 15 दिन के अन्दर–अन्दर निदेशालय में, उस मास की अन्तिम तिथि तक कुल लिए गए ऋण में से बकाया ऋण की मूल राशि एवं उक्त राशि पर दिये जाने वाले ब्याज की राशि का पूर्ण विवरण देते हुए संलग्न चेक लिस्ट में वर्णित सभी दस्तावेजो सहित निदेशालय में दस्ती तौर पर भेजना सुनिश्चित किया जाए।

2. इसके अतिरिक्त उन्हे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वे व्यक्तिगत तौर पर इस संबंध में उनके अधीन कार्यरत संबंधित विद्यालयो/कार्यालयो में कार्यरत सभी DDOs को यह निर्देश पारित करेगे की वे यह सुनिश्चित करेगे कि ऐसे मृतक कर्मचारियों के परिवार से जल्द से जल्द व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करके ग्रुप ग या घ कर्मचारी के ऋणो और अग्रिमों की वसूली अधित्यक्त्त करने बारे मामले कर्मचारी की मृत्यु उपरांत अविलम्ब उनके कार्यालय में (जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी) में दस्ती तौर पर भेजेगे तथा तत्पश्चात् वे (सम्बन्धित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संबंधित सहायक/लिपिक) उनके कार्यालय से सम्बन्धित सभी Loan Waive Off के मामले वित विभाग की हिदायते कमांक 3/11/2017& WM(3)/936 dated 13.12.2021 व समय समय पर जारी हिदायतों एवं विभाग द्वारा जारी चैक लिस्ट चेक करके भेजेगे।

3. यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वे स्वंय व्यक्तिगत तौर पर इन मामलो में संज्ञान लेकर यह सुनिश्चित करेगे कि उपरोक्त दिशा निर्देशो का पालन हर हालत में किया जाए अन्यथा इस मामले में किसी भी प्रकार की कोताही/विलम्ब के लिए संबंधित विद्यालयों/कार्यालयों के डी0डी0ओ0 एंव अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी अतिरिक्त ब्याज के भुगतान के लिए दायी होगे एवं अतिरिक्त ब्याज की राशि उनके वेतन से रिकवर की जाएगी एवं उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।

अधीक्षक लेखा एवं ऑडिट
कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

1) इसकी एक प्रति JD IT-cell को आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित है।